

म0प्र0 शासन,  
वित्त विभाग,  
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक /1732/2340/2015/C-4  
प्रति,

भोपाल दिनांक/0-7-2015

अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग,  
अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग,  
प्रमुख सचिव, वन विभाग,  
मध्यप्रदेश ।

विषय :- यूनिक एम्पलाई कोड जनरेशन के संबंध में।

-00-


विषयांगत समेकित वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) परियोजना में HRMIS माड्यूल अंतर्गत राज्य के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के यूनिक कोड की आवश्यकता होगी । कोषालयीन कम्प्यूटरीकरण परियोजना अंतर्गत संचालित C-SFMS एप्लीकेशन साफ्टवेयर की सहायता से राज्य के समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन देयक ऑन लाइन जनरेट किए जा रहे हैं, परन्तु अखिल भारतीय सेवा के कई अधिकारियों के वेतन देयक मैन्युअली तैयार किए जा रहे हैं क्योंकि उनके यूनिक कोड उपलब्ध नहीं हैं, हॉलांकि 1.1.2005 के पश्चात् नियुक्त अखिल भारतीय सेवाओं के समस्त अधिकारियों के यूनिक कोड उपलब्ध हैं, जिनके आधार पर अंशदान पेंशन योजना (दिनांक 1.1.2005 से लागू होने के पश्चात्) का अंशदान NSDL प्रेषित किया जाता है एवं दिनांक 1.1.2005 के पूर्व के जिन अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के यूनिक कोड जनरेट नहीं हैं, उनके वेतन का ई-पेमेंट करने के लिए, पृथक प्रक्रिया अपनाई जा रही है ।

2. नदीन विकसित किए जा रहे साफ्टवेयर "इन्टीग्रेटेड फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम (IFMIS)" एप्लीकेशन साफ्टवेयर के संचालन के लिए राज्य के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के यूनिक कोड की आवश्यकता होगी। IFMIS का शीघ्र ही ( जुलाई 2015 के अंत तक) पायलट भोपाल



जिले में प्रारंभ होगा । अतःजिन अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा, अखिल भारतीय वन सेवा, अखिल भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का यूनिक कोड उपलब्ध नहीं है, उनका यूनिक कोड जनरेट कराया जाना अत्यावश्यक है ।

3. अनुरोध है कि समस्त अधीनस्थ अधिकारियों के यूनिक कोड जनरेट करने हेतु निर्धारित फार्म (संलग्न) पर जानकारी कोषालय में प्रेषित की जाए, सुविधा की दृष्टि से वित्त विभाग की वेबसाईट <http://www.finance.mp.gov.in> पर आदेश/निर्देश के मीनू के अंतर्गत रिक्त प्रपत्र के अंतर्गत एम्पलाई डाटाबेस में प्रपत्र उपलब्ध है।

  
(अज्ञेय नाथ)

अपर मुख्य सचिव, म०प्र० शासन,  
वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल

पृ०क०/१२३ / २३५० / २०१५ ए-५ भोपाल दिनांक -७-२०१५

- प्रतिलिपि :- 1. वि.क.अ. सह-आयुक्त, कोष एवं लेखा, म०प्र० भोपाल ।  
2. संचालक, पेंशन तथा भविष्य निधि एवं राज्य बीमा योजना, म०प्र० भोपाल ।  
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, म०प्र० ।  
4. समस्त कोषालय अधिकारी, म०प्र० ।

  
उप सचिव,

म०प्र० शासन, वित्त विभाग,  
मंत्रालय, भोपाल



8. ब. वर्तमान पदस्थापना का विवरण :

I	पदनाम																			
II	पद की श्रेणी (✓ करें)																			
III	पद का प्रकार (✓ करें)																			
IV	वेतनमान																			
V	* प्रशासकीय विभाग का नाम																			
	* प्रशासकीय विभाग का कोड																			
VI	* विभागाध्यक्ष का कोड																			
VII	वर्तमान कार्यालय का नाम एवं पता																			
VIII	आहरण अधिकारी का पदनाम एवं कार्यालयीन पता																			
IX	आहरण अधिकारी का कोड																			
X	संबंधित कोषालय का नाम																			
XI	* परिवार कल्याण निधि में दिनांक . . . . . की स्थिति में जमा राशि (रु.)																			

(परिवार कल्याण निधि योजना अन्तर्गत अल्पिम कटौती का दिनांक एवं उक्त दिनांक की स्थिति में कुल जमा राशि का विवरण देना है)

9. पति/पत्नि के नियोजन का विवरण :

I	पति/पत्नि का नाम																			
II	नियोजन की स्थिति (✓ करें)																			
III	पदनाम																			
IV	विभाग का नाम																			
V	कार्यालय का नाम एवं पता																			
VI	एम्प्लॉई कोड (यदि विभाग द्वारा आवंटित हो)																			

10. अ. पदीन्मति/क्रमोन्मति के विवरण \*

पदीन्मति के पूर्व			पदीन्मति के पश्चात्		
पदनाम	चेतनमान	मूलचेतन	पदनाम	चेतनमान	मूलचेतन

10. ब. विशेष/अग्रिम चेतन वृद्धियों के विवरण \*

चेतनवृद्धि का प्रकार (विशेष/अग्रिम)	चेतनवृद्धि स्वीकृति का कारण	आदेश क्र. व दिनांक	अग्रिम चेतनवृद्धियों की संख्या	लागू होने की तिथि	चेतनवृद्धि के समायोजन की तिथि	रिपोर्ट

10. स. समूह बीमा योजना के विवरण \*

समूह बीमा योजना कटौती की दर	कटौती प्रारम्भ करने का दिनांक	कटौती में व्यवधान के विवरण (यदि हो तो)

11. अ. सेवाकाल की घटनाएं जिनका वित्तीय प्रभाव हो \*

सेवा व्यवधान का प्रकार	सेवा व्यवधान का प्रभाव		
	सेवा व्यवधान की अवधि ..... से ..... तक	कुल अवधि (दिनों में)	अर्हतादायी सेवा पर अर्हतावृद्धि दिनांक पर
बैंक इन सर्विस			अन्य प्रभाव ( स्पष्ट करें )
डाइज नान			
सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया 120 दिवस से अधिक का अनाधिकृत अवकाश			
18 वर्ष से कम आयु की सेवा ( बाल्य सेवा )			
नियमित न किया गया पदग्रहण काल			
निलंबन अवधि जिसे अर्हतादायी सेवा न माना गया हो			
अन्य ( स्पष्ट करें )			

11. ब. शास्तियां—केवल उन्हीं शास्तियों का विवरण दिया जावे जिनका वित्तीय प्रभाव हो\*

शास्ति का प्रकार	शास्ति के विवरण	अबधि ... से . तक	यदि शास्ति अबधि में अधिक भुगतान हुआ हो तो भुगतान की राशि	अधिक भुगतान में से वसूल की गई राशि	वसूली हेतु शेष राशि	वसूली की गई राशि के प्रमाणीकरण बावत् सक्षम अधिकारी के पत्र क्र. व दिनांक
वेतनवृद्धि संघयी प्रभाव से रोकी गई.						
वेतनवृद्धि असंघयी प्रभाव से रोकी गई.						
पदावर्ति						
रीचे के प्रक्रम पर लाया गया.						
अन्य						

11. स. बाह्य सेवा \*

अबधि ... से ... तक	बाह्य सेवा नियोजक का पदनाम एवं कार्यालय का पता	बाह्य सेवा पर जाने से पहले प्राप्त हो रहा मूल वेतन ( रु. में )	बाह्य सेवा अबधि के दौरान राज्य शासन को देय अंशदान की राशि ( रु. में )				यदि राशि वसूल की जा चुकी हो तो सक्षम अधि. द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र का क्र. व दिनांक
			पेंशन अंशदान	उपादान	अर्जित अवकाश	अन्य अंशदान	

12. परिवार का विवरण

क्र.	परिवार के सदस्य का नाम	शासकीय सेवक से संबंध	जन्म तिथि



13. नामांकन \*

नामांकन का प्रकार	नामित व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम	शासकीय कर्मचारी से संबंध	जाति (यदि नाबालिग हो)	नाबालिग के संरक्षक का नाम	प्राप्त होने वाला हिस्सा	नामांकन की तिथि	क्रायांकन द्वारा नामांकन स्वीकार करने की तिथि	नामित व्यक्ति को युवा शासकीय सेवक से पहले होने के द्वारा में राशि किसे देय होगी
जी. पी. एफ./ डी. पी. एफ.								
ग्रेज्यूटी								
सारांशिकरण राशि								
जी. आई. एस.								
एफ. बी. एफ.								

14. अ. दीर्घकालिक ऋण

ऋण का प्रकार	ऋण प्रदायकर्ता संस्था का नाम	ऋण/अग्रिम की राशि	व्याज दर (प्रतिशत में)	कोषालय का नाम	कोषालय काउचर क्रमांक एवं दिनांक
गृह निर्माण अग्रिम					
दो पहिया वाहन अग्रिम					
मोटर कार अग्रिम					
कम्प्यूटर अग्रिम					
अन्य अग्रिम (विवरण दें)					

14. ब. ऋण वसूली

ऋण का प्रकार	ऋण वसूली प्रारंभ एवं पूर्ण होने का माह एवं वर्ष .....से..... तक	ऋण वसूली की किशतों की संख्या	ऋण वसूली की किशत की राशि	यदि पूर्ण राशि वसूल की जा चुकि हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र का क्र. व दिनांक	ऋण वसूली में व्यवधान का विवरण		
					व्यवधान की अवधि	वसूल न की गई किशतों की संख्या	कुल राशि
गृह निर्माण अग्रिम							
दो पहिया वाहन अग्रिम							
मोटर कार अग्रिम							
कम्प्यूटर अग्रिम							
अन्य अग्रिम (विवरण दें)							

15. पार्ट फाईनल भुगतान (सेवा काल में दिये गये पार्ट फाईनल भुगतान की जानकारी दी जाना है) :

I	जी.पी.एफ./डी.पी.एफ. खाता क्रमांक									
II	पार्ट फाईनल आहरण का विवरण :									

वर्ष	आहरित राशि (रूपये में)	कारण	कोषालय का नाम	कोषालय व्हाउचर क्रमांक व दिनांक	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का कोड

### कर्मचारी / अधिकारी का प्रमाणीकरण

मैं, शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरे द्वारा दिया गया है एवं मेरी निजी जानकारी में सत्य है। मुझे यह भी ज्ञात है कि विवरण गलत पाये जाने पर मेरे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

कर्मचारी / अधिकारी के हस्ताक्षर .....

दिनांक .....

स्थान .....

टीप :— \*चिह्नित प्रविष्टियों के विषय में यदि जानकारी वर्तमान में सेवा अभिलेख में उपलब्ध न हो तो उसकी पूर्ति बाद में की जा सकेगी तथा डाटाबेस प्रपत्र को उक्त जानकारी के बिना ही भेजा जा सकता है।

### संवर्ग नियंत्रण अधिकारी का सत्यापन

श्री/सुश्री ..... के द्वारा दिये गये उपरोक्त विवरण का मिलान सेवापुस्तिका एवं अन्य अभिलेखों से किया गया है। प्रमाणित किया जाता है कि कार्यालयीन अभिलेखों के आधार पर विवरण सही है।

अधिकारी के हस्ताक्षर .....

पदनाम .....

कार्यालय का नाम एवं पता .....

दिनांक .....